राजस्व वाद संख्या:–135/2020
मालाराम बनाम ओमप्रकाश वगै0
निर्णय दिनांक:– 16.07.2025

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन उप जिला कलक्टर सूरजगढ झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी:–
श्रीमती सुमन देवी II(आर.ए.एस.)

मु0नं0 135/2020

01. मालाराम पुत्र हनुमान उम्र 60 साल जाति जाट निवासी किढवाना तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान दौराने दावा मृतक

1/1 राजबाला पत्नी स्व0 श्री मालाराम जाति जाट निवासी किढवाना सूरजगढ

1/2. जयकुमार पुत्र स्व0 श्री मालाराम जाति जाट निवासी किढवाना सूरजगढ

1/3. मुकेश पुत्री स्व0 श्री मालाराम जाति जाट निवासी किढवाना सूरजगढ

1/4 सुनिल पुत्र स्व0 श्री मालाराम जाति जाट निवासी किढवाना सूरजगढ

1/5 सुरेश पुत्र स्व0 श्री मालाराम जाति जाट निवासी किढवाना सूरजगढ

– आवेदक

बनाम

01. औमप्रकाश पुत्र मोहरसिंह जाति जाट निवासी किढवाना तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
02. कमला पुत्री मोहरसिंह जाति जाट निवासी किढवाना तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
03. दलीप पुत्र मोहरसिंह जाति जाट निवासी किढवाना तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
04. मैना पुत्री मोहरसिंह जाति जाट निवासी किढवाना तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
05. रेशमा पुत्री मोहरसिंह जाति जाट निवासी किढवाना तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
06. उषा पत्नी प्रताप जाति जाट निवासी किढवाना तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
07. दीपक पुत्र प्रताप, नाबालिग जरिए कुदरती वली माता उषा पत्नी प्रताप जाति जाट निवासी किढवाना तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू।
08. पुजा पुत्री प्रताप, नाबालिग जरिए कुदरती वली माता उषा पत्नी प्रताप जाति जाट निवासी किढवाना तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू।
09. लोकेश पुत्र प्रताप नाबालिग जरिए कुदरती वली माता उषा पत्नी प्रताप जाति जाट निवासी किढवाना तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू।
10. राजस्थान सरकार / भूमिधारी जरिये तहसीलदार सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान

अनावेदकगण

प्रार्थना पत्र अ0धा0 251 (क) उपधारा (1)
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
निर्णय

संक्षेप में तथ्य प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि ग्राम किढवाना की सींव में भूमि खसरा नम्बर 500 रकबा 1.48 हैक्टर, खसरा नम्बर 507 रकबा 0.09 हैक्टर, खसरा नम्बर 514 रकबा 1.40 हैक्टर, खसरा नम्बर 515 रकबा 0.90 हैक्टर, खसरा नम्बर 537 रकबा 0.69 हेक्टर में प्रार्थी/आवेदक का हक हिस्सा 1/5 है जो आवेदक की खुद काश्त खातेदारी की है।

यह कि ग्राम किढवाना की सींव में भूमि खसरा नम्बर 504 रकबा 200 हैक्टर, खसरा नम्बर 505 रकबा 0.09 हैक्टर, खसरा नम्बर 511 रकबा 0.61 हैक्टर, खसरा नम्बर 516 रकबा 0.50 हैक्टर, खसरा नम्बर 550 रकबा 0.45 हैक्टर अनावेदकगण संख्या 1 लगायत 9 की खुद काश्त संयुक्त खातेदारी की है।

उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़

राजस्व वाद संख्या–135/2020
मालाराम बनाम ओमप्रकाश वगै0
निर्णय दिनांक– 18.07.2025

यह कि आवेदक ग्राम किढवाना तहसील सूरजगढ उपखण्ड सूरजगढ में भूमि खसरा नम्बर 514 रकबा 1.40 हैक्टर के खुद काश्त खातेदार हूं तथा उक्त भूमि में मकानात बनाकर आबाद हूं व मय परिवार उक्त खसरान भूमि में ही रहता हूं। मैं मेरी भूमि खसरा नम्बर 514 में आने जाने उंट गाडी मवेशी, टेक्टर, जीप आदि लाने ले जाने सिंचाई जोत आदि के लिए अनावेदक की भूमि खसरा नम्बर 504 रकबा 2.00 हैक्टर की पूर्व सीमा के सहारे सहारे नजरी नक्शा अनुसार तथा अनावेदकगण सं० 1 लगायत 9 के खेत खसरा नम्बर 504 की पूर्वी सीमा के सहारे सहारे खसरा नम्बर 514 की दक्षिणी सीमा तक नजरी नक्शानुसार मार्क ए. से बी. तक 10 फुट चोड़ा रास्ता चाहता है। इसलिए हम राजस्थान अभिकृषि अधिनियम 1955–1955 का अधिनियम सं०3 की उपधारा 251–क. की उपधारा–2 के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदन करते है ।

यह कि आवेदक अपने खेत खसरा नम्बर 514 रकबा 1.40 हैक्टर, में आवासीय मकान बनाकर आबाद है एवं आवेदक को खेत में आने जाने सिंचाई जोत करने मवेशी, ट्रेक्टर, जीप उंट गाड़ी आदि लाने ले जाने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता नही है इसलिए आवेदक को अपने खेत में आने के लिए ग्राम किढवाना से बडसरी का वास जाने वाले कटानी रास्ते से खेत खसरा नम्बर 504 रकबा 2.00 हैक्टर की पूर्वी सीमा के सहारे नजरी नक्शा अनुसार मार्क ए. से बी. 10 फुट चोड़ा रास्ता चाहता है। उक्त जगह कटानी रास्ते से निकटतम जगह है एवं उक्त रास्ते से अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता आवेदक के खेत में जाने बाबत नही है।

यह कि भूमि खसरा नम्बर 514 रकबा 1.40 हैक्टर आवेदक की खातेदारी की है जिसमें आने जाने के लिए अनावेदकगण की भूमि खसरा नम्बर 504 रकबा 2.00 हैक्टर पूर्वी सीमा के सहारे–सहारे आवेदक की भूमि खसरा नम्बर 514 रकबा 1.40 हैक्टर की दक्षिण–पूर्वी सीमा तक आवेदक नजरी नक्शा मार्क ए. से बी. अनुसार कायम करवाना चाहते है ।

यह कि आवेदक उक्त भूमि में से रास्ता प्राप्त करने बाबत नियमानुसार माननीय न्यायालय के आदेशानुसार राशि देने को तैयार है इसलिए उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में अंकित किया जाना आवश्यक है ।

अतः प्रार्थना पत्र मय नजरी नक्शा व शपथ पत्र के प्रस्तुत कर निवेदन है कि आवेदक के खेत खसरा नम्बर 514 रकबा 1.40 हैक्टर में आने जाने मवेशी टेक्टर जीप उंट गाडी आदि लाने ले जाने बाबत अनावेदक की भूमि खसरा नम्बर 504 रकबा 200 हैक्टर में से पूर्वी सीमा के सहारे सहारे मार्क ए. से. बी. 10 फुट चोड़ा नया रास्ता नजरीं नक्शा अनुसार कायम किया जावे तथा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने बाबत तहसीलदार सूरजगढ को आदेशित किया जावे ।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहसीलदार सूरजगढ से मौका जांच रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी की गयी । अप्रार्थीगण के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी । तहसीलदार सूरजगढ से मौका जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल पत्रावली की गयी।

बहस सुनी गई

वकील पक्षकारान की बहस सुनी गयी। बहस एवं तहसीलदार से प्राप्त मौका जांच रिपोर्ट कमांक राजस्व/2021/147 दिनांक 30.03.2021 का अवलोकन किया गया । उक्त मौका जांच रिपोर्ट के अनुसार आवेदक द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा आवेदक की भूमि के कोई स्वीकृतशुदा रास्ता नही लगता है। आवेदक द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा अन्य कोई कटानी कम दुरी का रास्ता नही लगता हैं । राजस्व रिकार्ड के अनुसार आवेदक द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है जो मौके पर चालू हो। उक्त मौका जांच रिपोर्ट एवं बहस का अवलोकन एवं मनन पश्चात तहसीलदार सूरजगढ की मौका रिपोर्ट राजस्व/2021/17 दिनांक 30.03.2021 के साथ पेश भू0अ0 निरीक्षक रिपोर्ट में अंकित नक्षा में दर्षित भूमि प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 514 मौजा किढवाना में आने जाने के लिए नजरी नक्शे के मुताबिक खेत खसरा नम्बर 504 में से लाल स्याही से अंकित तक कुल दुरी 75 मीटर लंबाई एवं 03 मीटर चौडाई कुल रकबा 225 वर्ग मीटर अप्रार्थीगण की भूमि में से लाल स्याही से अंकित रास्ते की लम्बाई 75 मीटर चौडाई 03 मीटर का रास्ता कायम किया जाना न्यायोचित पाता है।

उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ

राजस्व वाद संख्या:—135 / 2020
मालाराम बनाम ओमप्रकाश वगै0
निर्णय दिनांक:— 18.07.2025

आदेश

तहसीलदार सूरजगढ की मौका रिपोर्ट राजस्व / 2021 / 17 दिनांक 30.03.2021 के साथ भू0अ0 निरीक्षक रिपोर्ट में अंकित नक्शा में दर्षित भूमि प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 514 मौजा किढवाना में आने जाने के लिए नजरी नक्शे के मुताबिक खेत खसरा नम्बर 504 में से लाल स्याही से अंकित तक कुल दुरी 75 मीटर लंबाई एवं 03 मीटर चौडाई कुल रकबा 225 वर्ग मीटर अप्रार्थीगण की भूमि में से लाल स्याही से अंकित रास्ते की लम्बाई 75 मीटर चौडाई 03 मीटर का रास्ता कायम किया जाना की घोषणा की जाती है । तहसीलदार सूरजगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि वह रास्ते में जाने वाली भुमि की निर्धारित डी.एल.सी. दर से दुगुनी राशि आवेदक से जमा कर संबधित खातेदार को उनके हिस्से अनुसार दी जावे। रास्ते के नाप में अगर कोंई परिवर्तन होता है तो तहसीलदार अपने स्तर पर निस्तारण करे व रास्ते में आने वाले पेड़ या अन्य बाधा को हटाया जाता है तो उसका हर्जा खर्चा प्रार्थी से वसूल किया जावे तथा राजस्व रिकार्ड में रास्ते को अमल दरामद करे। तहसीलदार सूरजगढ की रिपोर्ट निर्णय का भाग रहेगा।

(श्रीमती सुमन देवी II आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ़
उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़

यह निर्णय आज दिनांक 18.07.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय की मुद्रा से सरे इजलास में सुनाया गया।

(श्रीमती सुमन देवी II आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ़
उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़